

## सविनय अवज्ञा आन्दोलन

राइमन कमीशन की अलफला, नैटल रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं अधिवेशन में पारित किये गये पूर्ण स्वातंत्र्य के प्रस्ताव स्वतंत्रता आन्दोलन संबंधी धरनाओं का क्रम काफी तेज हो गया। गाँधीजी द्वारा वाचसतय के सम्मुख रखे गये 12 सूत्री मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक हल नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 को लाकरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गाँधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने का निश्चय किया गया।

आन्दोलन का कार्यक्रम →

- ① नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाये।
- ② सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाये।
- ③ महिलाओं स्वयं शरान, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दें।
- ④ समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाये।
- ⑤ कर अदायगी को रोक दिया जाये।

12 मार्च 1930 को गाँधीजी की प्रसिद्ध दांडी

मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। उस दिन 78-उने हुए अनुयायीओं के साथ गाँधीजी लाकरमती आश्रम से चले गए गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गाँव पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को पहुँच कर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार नमक कानून देश के कई भागों में भी तोड़ा गया। यह इस्बत का प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है।

नमक कानून के अंग होने के साथ ही सारे भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। आन्दोलन व्यापक रूप से पूरे भारत में फैल गया। महिलाओं परदे से बाहर आकर सत्याग्रह में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों की अनेक दुकानों पर हौलिया जलाई गयी। महिला वर्ग में शरान की दुकानों पर धरना दिया तथा कूषकों को अदायगी से इंकार कर दिया।

## इरविन अवज्ञा आन्दोलन की मुख्य विशेषता थी -

को पैमाने पर पहली बार किसी आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। इसके पूर्व बहुत कम औरतों ने सार्वजनिक स्थानों के राज-सैनिक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। नतीजा तब फूली इस असहयोग नीति से ब्रिटिश हुकूमत ~~झुका~~ झुल्ला गयी। 5 मार्च 1930 को गाँधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आन्दोलन की प्रचण्डता का अहसास कर तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन ने गाँधी जी से समझौता करना चाहा।

इरविन ने भारत लाने के सहयोग से इंग्लैंड में 12 सितम्बर, 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया। कांग्रेस ने अपने को इस सम्मेलन से अलग रखने का निर्णय किया। इरविन ने 25 जनवरी 1931 को गाँधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तब बहादुर सखु एवं जयकर के प्रयासों से गाँधी एवं इरविन के मध्य 19 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरम्भ हुई। 5 मार्च 1931 को अन्ततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते को गाँधी इरविन समझौता कहा जाता है।